

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला जांजगीर चाम्पा (छ0ग0)

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के की धारा 4(1)(ख) के प्रावधानों के तहत 17 बिन्दुओं पर जानकारी


01.	अपने संगठन के विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य	<p>पुलिस मेन्युअल एवं रेग्युलेशन एवं पुलिस एक्ट 2007 में पुलिस अधिकारियों की विशिष्टियां, भूमिका कार्य एवं कर्तव्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं। जिनमें कुछ कर्तव्य निम्नानुसार हैं:-</p> <p>(i)(1) विधि को प्रवृत्त करना तथा लोगों के जीवन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति, अधिकारों तथा मर्यादा की रक्षा करना। (2) अपराध तथा लोक उपदूषण रोकना। (3) लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना। (4) आंतरिक सुरक्षा को परिरक्षित करना, आतंकवादी गतिविधियों की रोकथान करना तथा नियंत्रित करना। (5) सर्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। (6) अपराधों का पता लगाना तथा न्याय के लिए अपराधियों को लाना। (7) ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तारी करना जिसे गिरफ्तारी करने के लिए वह विधिक रूप से प्राधिकृत हो तथा जिसके गिरफ्तार के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान हो। (8) प्राकृतिक या मानव निर्मित संकट से उत्पन्न स्थितियों में लोगों की सहायता करना तथा राहत कार्यों में अन्य अभिकरणों को सहायता देना। (10) जनता तथा वाहनों के व्यवस्थित संचालन को सरल बनाना तथा ट्रेफिक को नियंत्रित तथा विनियमित करना। (11) लोक शांति को प्रभावित करने वाले विषयों तथा अपराध से संबंधित आसूचना एकत्र करना। (12) लोक प्राधिकारियों को उनके कार्यों के निर्वहन में सुरक्षा प्रदान करना। (13) विधि द्वारा विहित अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा विधि के अधीन प्रदत्त निर्देशों पर सभी कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का पालन करना।</p> <p>(ii)राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी, पुलिस अधिकारी को ऐसे अन्य कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व सौंप सकेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।</p>
-----	--	--

02.	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य	पुलिस मेन्युअल एवं रेग्युलेशन, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007, भारतीय दण्ड विधान एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं अन्य विधियों द्वारा प्रदत्त शक्तियां एवं कर्तव्य
03.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं	कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों पर चाही गई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। पर्यवेक्षण प्रथम अपीलीय अधिकारी पुलिस अधीक्षक, जिला जांजगीर चाम्पा द्वारा किया जाता है। सूचना प्रदान किये जाने का दायित्व जन सूचना अधिकारी पुअ कार्यालय में अति० पुलिस अधीक्षक, अनुभाग कार्यालय में उप पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं थाना स्तर पर थाना प्रभारी का होता है।
04.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	पुलिस मेन्युअल एवं रेग्युलेशन तथा छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 में निहित मापमान
05.	अपने द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धूम्रित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	पुलिस मेन्युअल एवं रेग्युलेशन तथा छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 तथा राज्य शासन एवं वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश
06.	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं प्रवर्गों का विवरण	—
07.	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हो	—
08.	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भगरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इसके बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण	—
09.	अपने अधिकारियों कर्मचारियों की निर्देशिका	परिशिष्ट "अ" के अनुसार

10.	अपने प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी आती है जो उसके विनियमों में यथा उपबधित हो	पुलिस अधीक्षक	79900-211700
		अति० पुलिस अधीक्षक	67300-213100
		उप पुलिस अधीक्षक	56100-177500
		निरीक्षक	38100-120400
		उप निरीक्षक/सूबेदार	35400-112400
		सहा० उप निरीक्षक	25300-80500
		प्रधान आरक्षक	22400-71200
		आरक्षक	19500-62000
		एवं समय समय पर शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता	

11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट	छ०ग० शासन की वेबसाईट eKoshonline.cg.nic.in में जाकर बजट/एक्सपेंडीचर कालम में जिला जांजगीर चाम्पा, डीडीओ कोड 0602001, वित्तीय वर्ष डालकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
12.	सहायिक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं	-
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां	-
14.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों	-
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोग उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं	-

16.	लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	<p>01. इस कार्यालय में जन सूचना अधिकारी अति0 पुलिस अधीक्षक, जिला जांजगीर चाम्पा एवं प्रथम अपीलिय अधिकारी पुलिस अधीक्षक जिला जांजगीर चाम्पा हैं।</p> <p>02. अनुभाग स्तर पर उप पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी अपने कार्यालय के जन सूचना अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक प्रथम अपीलिय अधिकारी हैं।</p> <p>03. थाना स्तर पर समस्त थाना प्रभारी अपने अपने थानों के जन सूचना अधिकारी हैं एवं उनके अनुभाग के उप पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी प्रथम अपीलिय अधिकारी हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट अ में दर्शित है। अधिकारियों के स्थानांतरण उपरांत भी शासकीय दूरभाष क्रमांक सीयूजी नं. परिवर्तित नहीं होता है।</p>
17.	ऐसी सूचना जो विहित की जाए	-


 पुलिस अधीक्षक
 जांजगीर चाम्पा

पुलिस विभाग सी.यू.जी. नंबर की सूची जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

क्र.	पदनाम	सीयूजी नं.
1	पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा	9479193100
2	अति.पु.अधीक्षक जांजगीर-चांपा	9479193101
3	उप पुलिस अधीक्षक (मुख्या.)	9479193104
4	अनु.अधि. (पुलिस) चांपा	9479193124
5	अनु.अधि. (पुलिस) सक्ती	9479193102
6	अनु.अधि. (पुलिस) चंद्रपुर (डभरा)	9479193114
7	अनु.अधि. (पुलिस) जांजगीर	9479191335
8	उप पुलिस अधीक्षक अजाक / क्राईम	9479193119
9	थाना जांजगीर	9479193107
10	थाना चांपा	9479193108
11	थाना अकलतरा	9479193109
12	थाना सक्ती	9479193110
13	थाना बलौदा	9479193111
14	थाना शि.ना.	9479193112
15	थाना बम्हनीडीह	9479193113
16	थाना मालखरोदा	9479191333
17	बाराद्वार	9479193115
18	थाना जैजैपुर	9479193116
19	थाना चन्द्रपुर	9479193117
20	थाना नवागढ	9479193118
21	थाना पामगढ	9479191332
22	थाना सारागांव	9479193120
23	थाना डभरा	9479193121
24	थाना विर्वा	9479191546
25	यातायात	9479191336
26	थाना मुलमुला	9479193126
27	अजाक जांजगीर	9479191334
28	प्रभारी क्राईम ब्रांच	9479193198
29	चौकी नैला	9479193123
30	चौकी अडभार	9479191338
31	चौकी पंतोरा	9479191337